श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन– 165/26
एकंगर सराय थाना काण्ड सं0– 194/25

अमित कुमार.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

12/03/2026 आवेदक (1) अमित कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदक एकंगरसराय थाना कांड सं0– 194/25, दिनांक 15/08/25 भा0न्या0सं0 की धारा– 309(4) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदका के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर पहली बार जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। इसके पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में या किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक के विरुद्ध पूर्व से एक मामला एकंगरसराय थाना काण्ड सं0– 195/25 धारा– 309(4) बी0एन0एस0 है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठे संदेह के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार है। आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का नाम केवल देपान कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक धारा– 482(2) के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक निरंजन कुमार द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 15/08/2025 को समय 3:30 बजे शाम में अपना मोटरसाइकिल लूना मोपेट से एकंगरडीह से मदनपुर जा रहे थे। उसी क्रम में अतरामचक मोड़ से 100 मीटर आगे थे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति आए और बीच में बैठा व्यक्ति अपने कमर से देशी कट्टा निकालकर सूचक पर भिड़ाते हुए बोला कि गाड़ी रोको नहीं तो गोली मार देंगे। तब सूचक डर कर अपनी गाड़ी रोक दिया। इतने में दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर कट्टा भिड़ाते हुए सूचक का मोबाइल बैंगनी रंग का और पॉकेट में रखा 500/– रु0 लूटकर तीनों व्यक्ति भाग गए।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ अवैध अश्लहा दिखाते हुए लूट कारित करने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के समग्र अवलोकन से विदित है कि आवेदक के विरुद्ध इस काण्ड में संलिप्तता हेतु प्रर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा आवेदक के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है।

अग्रिम जमानत आवेदन– 165/26
एकंगर सराय थाना काण्ड सं0– 194/25

अतः उपरोक्त तथ्यों, मामले की परिस्थितियों तथा काण्ड की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

मेमो नं0..... दि0.....
आदेश की प्रति न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम हिलसा को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)